



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252034
CG-DL-E-13022024-252034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945

No. 571]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

का.आ. 602(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH-NE5 के कि.मी. 190.5 से कि.मी. 192.8 (संगरूर तहसील) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप प्रभागीय न्यायाधीश, संगरूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के संगरूर जिले में NH-NE5 के कि.मी. 190.5 से कि.मी. 192.8 (संगरूर तहसील) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब			जिले का नाम: संगरूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: संगरूर					
गांव का नाम: संतोखपुरा					
1	14//5/2	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
2	14//6/2	निजी	कृषि	0.0506 (हेक्टेयर)	0.0506
3	15//10/1	निजी	कृषि	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
4	15//10/2	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
5	15//11/1	निजी	कृषि	0.0759 (हेक्टेयर)	0.0759
6	15//20/2	निजी	कृषि	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177
7	150	अन्य (जुमला मालिकान)	गैर-मुमकीन रासता	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
8	157	अन्य (जुमला मालिकान)	गैर-मुमकीन रासता	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
9	158	अन्य (जुमला मालिकान)	गैर-मुमकीन रासता	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
10	20//21/2	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
11	21//2/2	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
12	21//8/3	निजी	कृषि	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
13	21//9/1	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
14	26//1/1	निजी	कृषि	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126

15	26//1/2	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
16	26//23/1	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
17	26//23/2	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
18	33//1	निजी	कृषि	0.1265 (हेक्टेयर)	0.1265
19	33//12/1	निजी	कृषि	0.0632 (हेक्टेयर)	0.0632
20	33//13/1	निजी	कृषि	0.0455 (हेक्टेयर)	0.0455
21	33//18/1	निजी	कृषि	0.0885 (हेक्टेयर)	0.0885
22	33//23/2	निजी	कृषि	0.0506 (हेक्टेयर)	0.0506
23	33//3/2	निजी	कृषि	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253
24	33//9/2	निजी	कृषि	0.0784 (हेक्टेयर)	0.0784
25	37//10/1	निजी	कृषि	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
26	37//10/2	निजी	कृषि	0.0582 (हेक्टेयर)	0.0582
27	37//11/2	निजी	कृषि	0.0556 (हेक्टेयर)	0.0556
28	37//12/1	निजी	कृषि	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
29	37//19/1	निजी	कृषि	0.0379 (हेक्टेयर)	0.0379
30	37//20/1	निजी	कृषि	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
31	70	अन्य (ग्राम पंचात)	गैर-मुमकीन रासता	0.0152 (हेक्टेयर)	0.0152
Total					1.1531

[फा. सं. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2024

S.O. 602(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 in the stretch of land from Km. 190.5 to Km. 192.8 (Sangrur tehsil) in the district of SANGRUR in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate, Sangrur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of

being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-NE5 in the stretch of land from Km. 190.5 to Km. 192.8 (Sangrur tehsil) in the district of SANGRUR in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB			District: SANGRUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sangrur					
Village: Santokhpura (232)					
1	14/5/2	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
2	14/6/2	Private	Agriculture	0.0506 (Hectare)	0.0506
3	15/10/1	Private	Agriculture	0.0101 (Hectare)	0.0101
4	15/10/2	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
5	15/11/1	Private	Agriculture	0.0759 (Hectare)	0.0759
6	15/20/2	Private	Agriculture	0.0177 (Hectare)	0.0177
7	150	Common (Jumla Malikan)	Gair Mumkin Rasta	0.0126 (Hectare)	0.0126
8	157	Common (Jumla Malikan)	Gair Mumkin Rasta	0.0076 (Hectare)	0.0076
9	158	Common (Jumla Malikan)	Gair Mumkin Rasta	0.0101 (Hectare)	0.0101
10	20/21/2	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
11	21/2/2	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
12	21/8/3	Private	Agriculture	0.086 (Hectare)	0.086
13	21/9/1	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
14	26/1/1	Private	Agriculture	0.0126 (Hectare)	0.0126
15	26/1/2	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
16	26/23/1	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
17	26/23/2	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
18	33/1	Private	Agriculture	0.1265 (Hectare)	0.1265
19	33/12/1	Private	Agriculture	0.0632 (Hectare)	0.0632
20	33/13/1	Private	Agriculture	0.0455 (Hectare)	0.0455
21	33/18/1	Private	Agriculture	0.0885 (Hectare)	0.0885
22	33/23/2	Private	Agriculture	0.0506 (Hectare)	0.0506
23	33/3/2	Private	Agriculture	0.0253 (Hectare)	0.0253
24	33/9/2	Private	Agriculture	0.0784 (Hectare)	0.0784
25	37/10/1	Private	Agriculture	0.0202 (Hectare)	0.0202
26	37/10/2	Private	Agriculture	0.0582 (Hectare)	0.0582
27	37/11/2	Private	Agriculture	0.0556 (Hectare)	0.0556
28	37/12/1	Private	Agriculture	0.0228 (Hectare)	0.0228

29	37//19/1	Private	Agriculture	0.0379 (Hectare)	0.0379
30	37//20/1	Private	Agriculture	0.0051 (Hectare)	0.0051
31	70	Common (Nagar Panchayat)	Gair Mumkin Rasta	0.0152 (Hectare)	0.0152
Total					1.1531

[F. No. NHAI/PIU/LDH(Expway)/701/LA/2020/DAKE-1/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.